## मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-22

## संक्षिप्त कार्य विवरण

**पत्रक भाग-एक**

**शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2006 (चैत्र 3, 1928)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, श्री मनोहर सिंह मेहता तथा आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

वाणिज्यिक कर मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री हरिवल्लभ शुक्ला, श्रीमती सरोज बच्चन नायक एवं श्री हमीद काजी ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10.45 बजे 5 मिनिट के लिये स्थगित होकर 10.52 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये)

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 10.54 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित होकर 11.04 बजे पुनः प्रारंभ हुई)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य गर्भगृह में आ गये तथा नारे लगाने लगे)

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.05 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होकर 11.30 बजे पुनः प्रारंभ हुई)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ कर नारे लगाने लगे)

## 2. प्रश्नोत्तर

(व्यवधान होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका)

प्रश्नोत्तर सूची में 25 तारांकित प्रश्न शामिल थे तथा नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 151 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 165 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

## 3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 38 सूचनाएं नियम 267-क को शिथिल कर आज दिनांक 24.3.2006 को सदन में लिये जाने की उन्होंने अनुज्ञा प्रदान की है पर सूचनाएं सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाऐंगी इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) पं. हरिचरण तिवारी,सदस्य की राजगढ़ जिले में खुलेआम जुए-सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से चलने,

(2) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य की बालाघाट जिले में राष्ट्रीय समविकास एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत मजदूरों को समय पर भुगतान न किये जाने,

(3) श्री नागेन्द्र सिंह गुढ़, सदस्य की रीवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि विकास कार्यों में खर्च किये जाने,

(4) कुंवर विजय बहादुर बुन्देला, सदस्य की छतरपुर जिले में अनुसूचित जाति के छात्रावासों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो की पदस्थापना न की जाने,

(5) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की इन्दौर में इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न दिये जाने,

(6) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम वामोर अशरोनी के आदिवासियों के कुटीर तोड़े जाने,

(7) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के गोविन्दपुर पंहुच मार्ग के निर्माण में अनियमितता होने,

(8) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के नेहरू नगर क्षेत्र में बह रहे नाले से गंदगी फैलने,

(9) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की जबलपुर जिले की तहसली सिहोरा को जिला न बनाये जाने,

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील कुनो पालपुर अभ्यारण्य से विस्थापित पिछड़ी जाति के निवासरत लोगों के लिये प्राथमिक शाला शिक्षा गारंटी शालायें नहीं होने से पढ़ाई से वंचित होने,

(11) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की शा.उ.मा. शाला शोभापुर शाला भवन में फर्नीचर,खेल मैदान बनाये जाने,

(12) श्री सुदामा सिंह, सदस्य की पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में हिण्डल्कों द्वारा संचालित उत्खनन को बंद किये जाने से श्रमिकों में बेरोजगारी होने,

(13) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के अनेक गांव में पेयजल संकट होने,

(14) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य की जिला टीकमगढ़ में ओला वृष्टि से फसलों की क्षति होने,

(15) श्री दिलिप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिला चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा खरीदी में भ्रष्टाचार होने,

(16) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले में शुद्ध पेय जल न मिलने,

(17) हरिन्दरजीत सिंह "बब्बू", सदस्य की भोपाल स्थित सुरेन्द्र पैलेस से आगे आर.के.डी.एफ. इंजीनियरिग कालेज तक सड़क किनारे स्ट्रीट लाईट लगाये जाने,

(18) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले में सिचाई परियोजना के डूब मे आई भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(19) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की नगर पंचायत ऊचेहरा जिला सतना में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया राशि का भुगतान न किये जाने,

(20) श्री दुलीचंद उरैती, सदस्य की ग्राम बरगवां विकासखण्ड बीजाडाडी जिला मण्डला में गौडी धर्म संस्कृति मुक्ति मोर्चा द्वारा आंतक मचाने,

(21) श्री ताराचंद गोयल (मेकेनिक), सदस्य की जिला उज्जैन के विकास खण्ड तराना के गांव ओलावृष्टि एवं आंधी के कारण प्रभावित होने,

(22) श्री ओम प्रकाश पुरोहित, सदस्य की बिल्लौद से हिगोरिया में बनाई गई सड़क के दोनो ओर पुलिया व नालियां बनाये जाने,

(23) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल,बालाघाट में आये आंधी तूफान ओला-वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने,

(24) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा स्थित खाचरौद तहसील में किसानों का रायडा समर्थन मूल्य पर न लिये जाने,

(25) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की उज्जैन शहर स्थित टावर चौक स्थित लक्ष्मी व्यंकटेश रेडीमेड स्टोर्स गली में सीवेज के पानी से गंदगी होने,

(26) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम तेदुआ में आदिवासियों की भूमि को उनके नाम पटवारी द्वारा काटे जाने,

(27) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम चुरेरिया में दलित आदिवासी महिला के साथ मारपीट होने,

(28) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की जनपद पंचायत रौन जिला भिण्ड पंचायत एवं समाज कल्याण भिण्ड द्वारा महिलाओं को पेंशन न दिये जाने,

(29) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बंसल कालेज ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी भोपाल के पिछड़ी जाति वर्ग के छात्रों को शासन द्वारा प्रोत्साहन के बावजूद भी छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने,

(30) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के सुरखी विदिशा मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(31) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की कृषि साख सहकारी संस्थाओं के बीच सरसों खरीदी के केन्द्र खोले जाने,

(32) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में ए.डी.पी. योजना अंतर्गत ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाने,

(33) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की भोपाल के शासकीय आवासों में मूलभूत सुविधाएं न दिये जाने,

(34) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले संचालन,संधारण विद्युत संभाग वारासिवनी में विद्युत सप्लाई न होने,

(35) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य की गोकुल ग्राम गौहारी देवरा तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना ग्राम का राजस्व नक्शा न होने व भूमि का सीमांकन न किये जाने,

(36) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य की देवास जिले के नेमावर क्षेत्र में भूतड़ी अमावस्या पर्व पर यात्रियों को पर्याप्त सुविधा न मिलने,

(37) श्री ओम प्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सदस्य की खण्डवा जिले के पन्धाना विकास खण्ड के अनेक ग्रामों में भूतपूर्व सैनिकों को जमीन का आवंटन नही होने, तथा

(38) श्री लक्ष्मण सिंह गौड, सदस्य की खण्डवा जिले के पंधाना में रोजगार निर्माण योजना अंतर्गत पक्की सड़क बनाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए,

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने -

(क) विकास योजनाओं से संबंधित परिणामी बजट वर्ष 2006-2007; एवं

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक का -

(i) प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां) ;

(ii) प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक ; तथा

(iii) प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष (सिविल),

(ग) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एल-17-14-2005-चार-ब-7, दिनांक 27 जनवरी, 2006,

(3) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2003-2004 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 301/म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 28 जनवरी, 2006,

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखे।

## 5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक,2005 (क्रमांक 25 सन् 2005) - (अधिनियम क्रमाक 9 सन् 2006) तथा वर्तमान सत्र में पारित मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 (क्रमांक 4 सन् 2006) - (अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2006) को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ कर नारे लगाने लगे)

## 6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 45 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम सात ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की सीधी जिले में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन संभाग में मध्यप्रदेश बीज निगम द्वारा कृषकों को नकली बीज का वितरण किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, कुंवर विक्रम सिंह "नातीराजा", अर्जुन पलिया, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम खटखरी में दो व्यक्तियों की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(4) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले में सामूहिक नकल में लिप्त विद्यालयों को पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(5) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, नानालाल पाटीदार, गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले में उद्यान हेतु पौध खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के जिला सहकारी बैंक की जैसीनगर शाखा द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(7) श्रीमती अलका जैन, सदस्य की कटनी जिले की जल आवर्धन योजना का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(8) सर्वश्री मनोहरलाल राठौर, रामलखन शर्मा, राजेश पटेल, सदस्य की हरदा जिले की हण्डिया नहर शाखा से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(9)डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले की हनुमना तहसील में सूखे से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(10) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दांई तट नहर के निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के वन परिक्षेत्र मऊगंज क्षेत्र अन्तर्गत अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य की रतलाम एवं उज्जैन जिलों में मोगिया जाति को जनजाति की सुविधा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के ग्राम बंजारी में अज्ञात बीमारी से कई पशुओं की मौत होने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य।

(14) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की झाबुआ जिले के मेघनगर एवं थांदला क्षेत्र की मिनरल्स कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों की अज्ञात बीमारी से मौत होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(15) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में अवैध रूप से रेत की खदानें संचालित होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(16) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के खाचरोद क्षेत्र में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री बोधसिंह भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के मानपुर निवासी व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(18) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ नगर के गांधी बिहार कालोनी में आवंटित भूखण्डों की रजिस्ट्री में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री अहिरवार रामदयाल, सदस्य की छतरपुर जिले की उर्मिल बांध के दाईं तट नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(20) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के कई ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(21) पं. हरिचरण तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की राजगढ़ एवं रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन के वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(22) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की रतलाम जिले के माही बांध से पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(23) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य की भोपाल में महिलाओं पर तेजाब फेके जाने की घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(25) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के पूर्व सांसद का अज्ञात डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(26) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, बंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सतना जिले की नागौद पुलिस द्वारा एक महिला के साथ मारपीट होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की सीधी जिले के शिवपुरवा निवासी व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में प्रसव सुविधा हेतु उपकरण खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य की उज्जैन जिले में कृषकों को केंचुआ वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा रिकार्डों को जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(31) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम नेहरा स्थित शाला भवन का निर्माण डूब क्षेत्र में किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य की राजगढ़ जिले के दूधी बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(33) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य की सागर एवं रायसेन जिले में विद्युत तारों से करंट लगने से कई व्यक्तियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री आरिफ अकील, सदस्य की सागर स्थित कब्रिस्तान की भूमि को सार्वजनिक पार्क घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिले के महिदपुर वक्फ के सचिव द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा अल्प- संख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री हरवंश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले में राष्ट्रीय समविकास योजना अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के ग्राम पटना में वन रहे स्टाप डेम कम रपटा के निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(38) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(40) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम बड़मन में जल उपभोक्ता समिति के चुनाव में एक व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(41) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सदस्य की इंदौर शहर में डकैती की घटनाएँ घटित होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(42) सर्वश्री रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य की दमोह की सुभाष कालोनी निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम कुडीला स्थित जैन मंदिर से मूर्ति की चोरी होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(44) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य की जबलपुर जिले के शहपुरा रेंज में वन कर्मियों द्वारा कृषकों की फसल नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(45) श्री भक्तपाल सिंह, सदस्य की भोपाल में नगर सैनिकों की भर्ती में अनियमितताएं होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

## 7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के अकोदिया मण्डी में सब -रजिस्ट्रार का कार्यालय खोले जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम गढ़ीखेड़ा से अटा तक सडक बनाये जाने,

(3) श्री देवीसिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम हरिबड़,पिपरी बुजुर्ग व रणगोद रोड में हाई स्कूल खोले जाने,

(4) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के -

(क) ग्राम पलसूद में कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(ख) पानसेमल नगर स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कामर्स विषय प्रारम्भ कराये जाने,तथा

(ग) पानसेमल नगर के शिव मन्दिर के पास नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मोहनगढ़ में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम मोहनगढ़ से अर्चरा तक पक्की सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) पृथ्वीपुर व निवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लेन्स प्रत्यारोपण की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने,

(6) श्री रामदास उइके,सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम मोरडोंगरी से साजवा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम दबक में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम दबक से आमझिरी तक सड़क बनाये जाने,

(7) पं. रमेश दुबे,सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम पालादौन से छिंदवाड़ा - सिवनी मुख्य मार्ग तक डामरीकृत मार्ग एवं पुलिया बनाये जाने,

(ख) ग्राम मरकाहांडी से सिरेगांव तक डामरीकृत मार्ग एवं पुलिया बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम मोरखा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) मकड़ावदा - वाजरली मार्ग का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ख) श्योपुर नगर में बायपास रोड़ बनाये जाने,

(9) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले के -

(क) ग्राम जामठी से माथनी तक सड़क बनाये जाने,

(ख) सदर स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम सिल्लौट, सोनाघाटी एवं चांदबेहड़ा में हाई स्कूल खोले जाने,

(10) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम महसाव स्थित शराब की दुकान अन्यत्र हटाये जाने,

(ख) ग्राम चुआं के अनुसूचित जाति बस्ती पथरहाई टोला तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ग) ग्राम मड़वा के अनुसूचित जन जाति बस्ती प्रेमनगर तक विद्युतीकरण कराये जाने,

(11) श्री गोविन्द सिंह पटेल,सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) गाडरवारा कृषि उपजमंडी से रेलवे गेट तक बाय पास रोड बनाये जाने, तथा

(ख) गाडरवारा नगर के पास शक्कर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम उमरिया स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) रातीकरार एवं देवाकछार के मध्य बारूरेवा नदी पर पुल बनाये जाने,

(ग) करेली नगर से राकई पिपरिया तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम केरपानी व मेहुगंवा के मध्य नर्मदा नदी पर पुल बनाये जाने,

(13) श्री सज्जन सिंह वर्मा,सदस्य की देवास जिले के -

(क) ग्राम धतुरिया राव से भोपाल मार्ग तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम भुरमिया में स्टाप डेम बनाये जाने,

(14) श्री बृजेन्द्र प्रताप,सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम टिकरिया में स्टोन पार्क खोले जाने,

(ख) ग्राम शाहनगर स्थित कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम नुनागर व बिहरिया के मध्य आलौनी नदी पर रपटा बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम बिसानी व देवरा के मध्य केन नदी पर रपटा बनाये जाने,

(15) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल नगर के नेहरू नगर चौराहे से भदभदा चौराहे तक स्ट्रीट लाईट लगाये जाने,

(16) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सावरगांव में हाई स्कूल खोले जाने,

(17) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) बहोरीबंद व ढीमरखेड़ा में तहसील कार्यालय भवन बनाने हेतु राशि आवंटन कराये जाने, तथा

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबन्द में एक्स-रे मशीन सुधरवाये जाने,

(18) श्री पवेसिंह पारगी, सदस्य की झाबुआ जिले के -

(क) ग्राम लिमड़ी से राजगढ़ तक सड़क बनाये जाने,तथा

(ख) ग्राम रजला में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 9. वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 588) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य पटल पर रखा गया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी अपनी बात कहते हुए गर्भगृह से नारे लगाते हुए मांग की कि श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के साथ-साथ सांसद के पद का भी लाभ ले रहे है इस लिए उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए)

## 10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3,4,5,6,7,8 तथा 9 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री बाबूलाल गौर,वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 42 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ कर नारे लगाते रहे)

## 11. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निम्नलिखित समितियों में निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :-

### (1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार
(2) डॉ. कमलापत आर्य
(3) श्री कैलाश चावला
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्री जगन्नाथ सिंह
(6) डॉ. ढाल सिंह बिसेन
(7) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(8) श्री मधुकर हर्णे
(9) पं. रमेश दुबे
(10) श्री रमेश सक्सेना
(11) श्री रामनिवास रावत

**श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।**

## (2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री ओमप्रकाश खटीक
(2) श्री अंचल सोनकर
(3) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)
(4) डॉ. गौरीशंकर शेजवार
(5) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
(6) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(7) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
(8) श्री बृजमोहन दास धूत
(9) श्री राजेश पटेल
(10) ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी"
(11) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"

**श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।**

## 3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(5) श्री मारोतराव खवसे
(6) श्री मेहरबान सिंह रावत
(7) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(8) कुंवर लवकेश सिंह
(9) श्रीमती एल.बी. लोबो

(10) श्री शरद जैन (एडवोकेट)

(11) श्रीमती सुधा जैन

**श्रीमती सुधा जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।**

## 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

(1) श्री अनूप सिंह मरावी

(2) श्री अहिरवार रामदयाल

(3) श्री किशोरीलाल वर्मा

(4) श्री गिरिराज मण्डलोई

(5) श्री छत्रपति सिंह

(6) श्री दिलीप भटेरे

(7) सुश्री निर्मला भूरिया

(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा)

(9) श्री प्रेमचंद गुड्डू

(10) श्री बद्रीलाल यादव

(11) श्रीमती बेले सुनीता

(12) श्री मनमोहन शाह बट्टी

(13) श्री मनोहर लाल राठौर

(14) श्रीमती रंजना बघेल

(15) श्री लाल सिंह आर्य

**श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 203 (1), 208 (1), 213, 216, 224 (1), 225 (1), 231 (2), 232, 233 (1), , 234-ग, 234-घ (2) तथा 234-ङ के अधीन वर्ष 2006-2007 की अवधि में सेवा करने के लिए विधानसभा की निम्नांकित समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त किया जाता है तथा इनकी सूचना को पटल पर रखा जाता है :-

## कार्यमंत्रणा समिति

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यक कर मंत्री
(3) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष
(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री
(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
(6) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री
(7) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री
(8) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री
(9) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रमीण विकास मंत्री
(10) श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री
(11) श्री इन्द्रजीत कुमार
(12) श्रीमती सुधा जैन
(13) डॉ. गोविन्द सिंह
(14) श्री बुन्देला विजय बहादुर सिंह

**माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा इस समिति के सभापति होंगे।**

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(1) श्री ज्ञान सिंह, **सभापति**
(2) श्री गुरुचरण सिंह
(3) श्री गोपीलाल जाटव
(4) डॉ. नारायण परमार
(5) श्री भक्त पाल सिंह
(6) श्री घनश्याम सिंह
(7) श्री दुलीचंद उरैती

**श्री ज्ञान सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## याचिका समिति

(1) श्री धरमू राय, **सभापति**
(2) श्री नानालाल पटीदार
(3) श्री कन्हैयालाल रामेश्वर अग्रवाल

(4) श्री ताराचंद गोयल
(5) श्री देवी सिंह पटेल
(6) श्री दल सिंह सोलंकी
(7) श्री धुलजी चौधरी
(8) श्री शिवराज शाह
(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(10) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(11) श्री हरिवल्लभ शुक्ला

**श्री धरमू राय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## प्रत्यायुक्त विधान समिति

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, **सभापति**
(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप
(3) श्री ताराचंद बावरिया
(4) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया)
(5) श्री जगदीश मुवेल
(6) श्री पंडित सिंह धुर्वे
(7) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(8) डॉ. दशरथ सिंह लोधी (दस्सू भैया)
(9) श्री उम्मेद सिंह बना
(10) श्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा)
(11) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

**श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

(1) श्री करण सिंह वर्मा, **सभापति**
(2) श्री जय सिंह मरावी
(3) श्री हरिशंकर खटीक
(4) श्री नानाभाऊ मोहोड
(5) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(6) श्री बंशीलाल जाटव
(7) कुंवर फूल सिंह मेवाडा

(8) श्री जसवंत सिंह राठौर (एडव्होकेट)
(9) श्री प्रभुदयाल गेहलोत
(10) श्री प्रियव्रत सिंह
(11) श्री अर्जुन पलिया

**श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## विशेषाधिकार समिति

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), **सभापति**
(2) श्री फूल चंद वैदिया
(3) श्री मुकाम सिंह निगवाल
(4) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
(5) श्री दिलीप दुबे (बड़े)
(6) श्री महेन्द्र हार्डिया
(7) श्री भूपेन्द्र आर्य
(8) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(9) श्री अन्तर सिंह दरबार
(10) श्री रवीन्द्र सुका महाजन

**श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## नियम समिति

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) श्री शिव प्रसाद राठौर
(4) श्री दुर्गालाल विजय
(5) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
(6) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी
(7) श्री धूल सिंह
(8) पंडित हरिचरण तिवारी
(9) श्री बघेल राजेन्द्र सिंह
(10) श्री आरिफ अकील

**माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा इस समिति के सभापति होंगे।**

## सदन समिति

(1) श्री श्याम लाल पंथी, **सभापति**
(2) श्री हरि सिंह रघुवंशी हरीपुर
(3) श्री दीपक कैलाश जोशी
(4) श्री दिलीप सिंह परिहार
(5) श्री राजेश यादव
(6) डॉ. निशिथ पटेल
(7) श्री शंकरलाल तिवारी

**श्री श्याम लाल पंथी, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## पुस्तकालय समिति

1. श्री काशी प्रसाद बागरी, **सभापति**
2. श्री दीवान सिंह पटेल
3. श्री पर्वेसिंह पारगी
4. श्री रामदास उइके
5. श्री ओम प्रकाश पुरोहित (वकील)
6. श्री प्रेम सिंह पटेल
7. श्री रामलाल रोतेल
8. श्री राजेन्द्र शुक्ल
9. श्री गिरिजा शंकर शर्मा
10. श्री सुखदेव पांसे
11. श्री अश्विन जोशी
12. श्री प्रेम सिंह

**श्री काशी प्रसाद बागरी,सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. डॉ. कमलापत आर्य, **सभापति**
2. श्री किशोरी लाल वर्मा
3. श्री झनकलाल ठाकुर
4. श्री ध्रुव प्रताप सिंह (दीपक भैया)
5. श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी
6. श्री अमर सिंह कोठार

7. श्री भगत सिंह नेताम
8. श्री माधव सिंह
9. श्री अशोक सिंह सरस्वार
10. श्री शिवनारायण मीणा
11. श्री दिलीप सिंह गुर्जर

**डॉ. कमलापत आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री गजराज सिंह सिकरवार, **सभापति**
2. श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.)
3. श्री ध्यानेन्द्र सिंह
4. श्रीमती संध्या राय
5. श्री बहादुर सिंह चौहान
6. श्री रामदयाल प्रभाकर
7. श्री सुदामा सिंह
8. श्री लाल सिंह आर्य
9. श्री सत्यदेव कटारे
10. श्री राजनारायण सिंह पुरनी
11. श्री हमीद काजी

**श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. सुश्री निर्मला भूरिया, **सभापति**
2. श्रीमती शशि ठाकुर
3. श्रीमती सोना बाई सेवक राम अहिरवार
4. श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया
5. श्री देवसिंह सैयाम
6. श्री रामदयाल अहिरवार
7. श्रीमती अलका जैन
8. श्रीमती रेखा रत्नाकर
9. श्रीमती पुष्पलता लिखीराम कावरे
10. श्रीमती सुनीता बेले

11. सुश्री ऊषा ठाकुर

**सुश्री निर्मला भूरिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।**

## 12. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47 मलेहरा के सदस्य सुश्री उमा भारती को ओर से मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमे उन्होने फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र में सभा की बैठकों से सभा में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है। उनका निवेदन इस प्रकार है - "मै विधान सभा सत्र फरवरी-अप्रैल, 2006 की बैठकों में अपरिहार्य कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ हूं."

क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47 मलेहरा के सदस्य सुश्री उमा भारती को इस सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

अनुज्ञा प्रदान की गई।

## 13. नियम - 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन है :-

(1) श्री रवीन्द्र महाजन,सदस्य विधान सभा द्वारा कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग बुरहानपुर तथा जिलाध्यक्ष बुरहानपुर के विरूद्ध.

(2) श्री अमर सिंह कोठार,सदस्य विधान सभा द्वारा सहारा समय न्यूज चेनल भोपाल के प्रतिनिधि, "द पायनियर" समाचार - पत्र भोपाल के संवाददाता व सम्पादक, "प्रभात किरण" समाचार -पत्र इन्दौर के सम्पादक एवं "स्वदेश" समाचार - पत्र इन्दौर के सम्पादक के विरूद्द.

(3) श्री रवीन्द्र महाजन,सदस्य विधान सभा द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कीर, (ठेकेदार) निवासी बुरहानपुर के विरूद्ध.

## 14. राष्ट्रगान

सदन द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

व्यवधान होने के कारण 12.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**